भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 61

20 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अर्बन चैलेंज फंड के कार्यान्वयन की स्थिति

61 डा. कविता पाटीदारः

श्री रामराव सखाराम वाडकुटेः

श्री एस. सेल्वागनबेथीः

श्री उज्जवल देवराव निकमः

श्री रायगा कृष्णैयाः

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, जिसमें परियोजनाओं के चयन की रूपरेखा, वित्त-पोषण की पद्धति और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हुई प्रगति शामिल है;

(ख) क्या यूसीएफ के अंतर्गत शहरों और परियोजनाओं का चयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) इसमें शहरों का पुनर्विकास, स्वच्छता अवसंरचना तथा शहरी गतिशीलता सहित किन-किन क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) केंद्र, राज्यों और अन्य हितधारकों के योगदान सहित योजनाबद्ध वित्तीय परिव्यय क्या है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने 13 फरवरी, 2026 को अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) को अनुमोदित किया है। इसके अलावा, यूसीएफ के संचालन दिशानिर्देश 15 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए ।

यूसीएफ तीन घटकों अर्थात् 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल और स्वच्छता' के तहत परिवर्तनकारी और प्रभावशाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और सुदृढ़ीकरण को गति प्रदान करता है। संचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी शहर यूसीएफ के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, संचालन दिशानिर्देशों के अध्याय 7 में परियोजना मूल्यांकन और चैलेंज फ्रेमवर्क संबंधी विवरण शामिल हैं, जिसमें अनिवार्य पात्रता आवश्यकताएं, समग्र परियोजना प्रवाह और परियोजनाओं के मूल्यांकन और चयन के लिए परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है। योजना के दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन में हैं और इन्हें https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2026/04/7950afb9b2d5cb773ba3d6c64bde9726.pdf पर देखा जा सकता है।

यूसीएफ मिशन की अवधि के दौरान कुल 1 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। यूसीएफ के तहत, केंद्रीय सहायता बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित है, इस शर्त के साथ कि परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बाजार आधारित स्रोतों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें नगरपालिका बांड, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) शामिल हैं। शेष परियोजना लागत को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी द्वारा पूरा किया जाना है। अब तक, 3418.28 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 13743.65 करोड़ रुपये की 16 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है/सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।
